

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001

**विज्ञापन संख्या— 03 /2015,** बिहार लेखा सेवा के अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी, वेतनमान 9300–34800 + रु. 4200 के कुल 100 (एक सौ) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमत्रित किये जाते हैं। इन 100 (एक सौ) पदों में अनारक्षित (01) को 50 (पचास), अनुसूचित जाति (02) को 15 (पन्द्रह), अनुसूचित जनजाति (03) को 01 (एक), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) को 18 (अठारह), पिछड़ा वर्ग (05) का 13 (तेरह) (एक पद वैकल्पिक के रूप में) एवं पिछड़ा वर्ग की महिला (06) को 03 (तीन) अनुमान्य हैं। इन अनुमान्य पदों में से विकलांग को नियमानुसार 3% आरक्षण देय होगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता :**— किसी सामान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री।  
3. **उम्र सीमा :**— दिनांक 01.08.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)–37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)–40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)–42 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 212, दिनांक 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार, जो दिनांक 01.08.2003 से 01.08.2015 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं तथा अन्य अहताएं पूरी करते हों, उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, बिहार सरकार के सरकारी सेवाकों को, जो तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्बर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सेनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के बोग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**4. आरक्षण:**

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करन पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) आरक्षित उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास जिला के जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता द्वारा निर्वात क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र, एवं अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) की दशा में अपने स्थायी अधिवास जिला के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

**5. शुल्क:**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 375/- (तीन सौ पचास) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 425/- (चार सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से सलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

6. **अन्य:** अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

7. **चयन का आधार – लिखित एवं सौचिक परीक्षा का आधार पर।**

अन्य तथ्य समान होने पर वाणिज्य स्नातक या लागत लेखा (चार्टर्ड या कॉस्ट एकाउटर्सी) में योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम होना आवश्यक होगा।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है, जिसका पाठ्यक्रम, परीक्षा की अवधि एवं पूर्णांक वही होगा जो आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित हैं।

**प्रारम्भिक परीक्षा :-**

- (i) प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं 150 अंकों की एकल विषय, सामान्य अध्ययन, में 2 (दो) घंटों की होगी। प्रश्नवार वहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- (ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% अहताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

**लिखित परीक्षा :-**

लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय कमश: सामान्य हिन्दी 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 200–200 अंकों का, होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना होगा। उक्त ऐच्छिक विषयों के दो पत्र होंगे, जिसके लिए प्रति पत्र 200 अंक निर्धारित हैं।

- (क) **अनिवार्य विषय :-** (i) सामान्य हिन्दी, (ii) सामान्य अध्ययन।

- (ख) **वैकल्पिक विषय :-**

- (i) वाणिज्यक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी विषयों में से कोई एक ऐच्छिक विषय के रूप में लेना अनिवार्य होगा।
- तथा (ii) निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना होगा है:-
- कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, भू-विज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज, कल्याण, विधि, प्रबन्ध, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, प्राणी विज्ञान, हिन्दी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बंगला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य एवं मैथिली भाषा और साहित्य।

**टिप्पणी :-**

1. उम्मीदवार निम्नलिखित वैकल्पिक विषय एक साथ नहीं रख सकते हैं :-

- (क) राजनीतिक विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन  
(ख) वाणिज्यक शास्त्र तथा लेखा विधि तथा प्रबन्ध  
(ग) मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र  
(घ) गणित तथा सांख्यिकी  
(इ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान  
(च) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन  
(छ) इंजीनियरिंग विषयों जैसे – सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग में एक से अधिक विषय नहीं।

2. उक्त सभी विषयों के पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।
4. सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में, किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
5. प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश / उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 है, जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। शेष तीन विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए बालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साड़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माहिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कार्यक्रम एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 15838, दिनांक 22.12.1990 एवं पत्रांक 6708, दिनांक 01.10.2008 द्वारा विहित है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षत्कार होगा, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षत्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची बनायी जाएगी, और अंतिम परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।

**मौखिक जाँच** :- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जाँच में भाग लेने के लिए रिक्तियों की दोगुनी संख्या में आमत्रित किया जाएगा। मौखिक जाँच 300 अंकों का होगा।

8. अंतिम मेधा सूची :- लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं मौखिक जाँच में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

#### 9. अंतिम तिथि:

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्धारित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि सोमवार, दिनांक 16.03.2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कर्तव्य जिम्मेवार नहीं होगा।

#### आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

#### 1. प्रविष्टि:

- (i) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ए–४ आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टीकित, हस्तालिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  - (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्लाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
  - (iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समूचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे:-
    - (i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्थिति, इस प्रकार भरा जाय – 

रि		न		ग		धा				
----	--	---	--	---	--	----	--	--	--	--
    - (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त खण्ड, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :– 

A		N		I		L		K		U		M		A		R		R		A		M
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---
    - (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
    - (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जनजाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।
- उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।
- (v) क्रमांक 8(i) “शैक्षक योग्यता” के अधीन ‘प्राप्तांक/पूर्णांक’ एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) क्रमांक 8(ii) में ऐच्छिक विषयों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करें।
- (vii) स्तम्भ (कॉलम) 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

#### 2. फोटोग्राफ़:

आवेदन–पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो वियकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निदेशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खीचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वभवितप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

#### 3. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र:

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वभवितप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें:-
  - 1) मैट्रिक का प्रमाण पत्र,
  - 2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
  - 3) चार्टर्ड या कॉर्स्ट एकाउटेन्सी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
  - 4) जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये),
  - 5) जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ),
  - 6) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- (ii) 16 × 10 सें.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (iii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।